अध्याय VII: इस्पात मंत्रालय

एमएसटीसी लिमिटेड

7.1 अविवेकपूर्ण वित्तपोषण के परिणामस्वरूप प्राप्य राशि का उगाही न होना

खराब क्रेडिट रेटिंग और प्रतिकूल वित्तीय पैरामीटरों वाली एक पार्टी की ओर से एमएसटीसी लिमिटेड द्वारा अधिप्राप्ति के वित्तपोषण करने के कारण ₹220.84 करोड़ की प्राप्य राशि का उगाही न होना।

एमएसटीसी लिमिटेड (एमएसटीसी) ने फेसिलिटेटर मोड के तहत लो एश मेटालार्जिकल (एलएएम) कोक, कोयला और मेल्टिंग स्कैप के आयात/अधिप्राप्ति के वित्तपोषण के लिए मैसर्ज कॉनकास्ट स्टील एंड पावर लिमिटेड (सीएसपीएल), एक प्राइवेट पार्टी के साथ 12 दिसम्बर 2012 से प्रभावी एक करार किया (अप्रैल 2013)। करार के अनुसार कम्पनी द्वारा सीएसपीएल के अनुरोध पर विक्रेता पर एक साखपत्र खोला जाएगा। इसके अतिरिक्त सामग्री को एमएसटीसी के नाम में गिरवी रखा जाना था और एक अभिरक्षक की अभिरक्षा के अन्तर्गत सीएसपीएल के संयंत्र के अन्दर स्थित नामित भांडागार में भंडारित किया जाना था। अभिरक्षक एमएसटीसी से प्राधिकार प्राप्त होने के बाद नकदी और वहन आधार पर सीएसपीएल को सामग्री की सुपुर्दगी करेगा। करार के अनुसार एमएसटीसी चोरी, डकैती आदि के प्रति गिरवी रखी गयी सामग्री के लिए सीएसपीएल से निगमित गारंटी, वैयक्तिक गारंटी, प्रतिभूति जमा और बीमा प्राप्त करेगा जिसमें अपने वित्तीय हितों की रक्षा के लिए एमएसटीसी को लाभ होगा। एमएसटीसी, सीएसपीएल और अभिरक्षक[1] के बीच एक त्रीपक्षीय करार भी किया गया (जुलाई 2013)। ऐसे करार के अनुसार सीएसपीएल गिरवी रखी गई सामग्री की किसी कमी के लिए पूर्णतया उत्तरदायी था और ऐसी कमी या कोई हो, का मूल्य सीएसपीएल द्वारा देय होगा।

इस संबंध में लेखापरीक्षा में निम्नलिखित पाया गया:

- सीएसपीएल[2] का वित्त पोषण एमएसटीसी की नई जोखिम प्रबन्धन नीति (जनवरी 2013) के उल्लंघन में था जिसमें बताया गया कि 25 पाइंटस से कम प्राप्त करने वाले संभावित ग्राहक का चयन नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त क्रेडिट एनालायसेस एंड

---

[1] *फैरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एमएसटीसी की एक सहायक कम्पनी)*

[2] *सीएसपीएल के 20 पाइंट थे*

रिसर्च लिमिटेड (सीएआरई) ने अपनी रेटिंग (फरवरी 2013) में सीएसपीएल का ग्रेड कम कर दिया जो दीर्घकालिक सुविधाओं में बीबीबी से बीबी कर दिया गया और अल्पकालिक सुविधाओं में ए3 (सामान्य जोखिम) से ए4 (उच्च जोखिम) कर दिया गया।

- सीएसपीएल की ऋण क्रेडिट सीमा आवृति अप्रैल 2013 से मई 2014 तक के कम समय में चार ट्रेचों में ₹40 करोड़ से बढ़कर ₹245 करोड़ हो गया जोकि स्वयं एमएसटीसी द्वारा परिकलित उच्च/सामान्य क्रेडिट रेटिंग के साथ-साथ गिरवी रखी गयी सामग्री के अनियमित उठाने के पैटर्न और बकाया देयों के इक्टठा होने के बावजूद था। इसके अतिरिक्त, उधार पात्रता के संबंध में एक अग्रणी बैंक से पूछताछ करने पर एमएसटीसी को सूचित किया गया (जनवरी 2014) कि सीएसपीएल अपने देयों के भुगतान में अनियमित था। उपरोक्त तथ्य दर्शाते हैं कि एमएसटीसी का निवेश का निर्णय विवेकपूर्ण नहीं था।

- फरवरी 2021 तक एमएसटीसी को सीएसपीएल के कुल बकाया देय ₹220.84 करोड़ (₹104 करोड़ के ब्याज को छोड़कर और प्रतिभूति जमा समायोजित करने के बाद) थे और उनके प्रति कोई वसूली नहीं की जा सकी।

- सभी आयतनी निर्धारणों (मार्च 2015 से फरवरी 2020 तक) से गिरवी रखी गयी सामग्री की बारंबार कमियों का पता चला जिसके लिए एमएसटीसी ने कोई संज्ञान नहीं लिया। एमएसटीसी द्वारा न केवल सीएसपीएल का वित्तपोषण करना जारी रहा बल्कि इसके अपने वित्तीय हितों को बचाने के लिए ऐसी गिरवी रखे गए स्टाक की रक्षा के लिए प्रभावी उपाय भी नहीं किए गए।

- त्रिपक्षीय करार में सेवा में कमी के लिए किसी ऐसी भी शास्तिक प्रावधान द्वारा गिरवी रखी गयी सामग्री की ऐसी हानियों को पूरा करने के लिए अभिरक्षक को बाध्य करने से एमएसटीसी को नहीं रोका गया। अभिरक्षक द्वारा करार भंग करने के लिए एमएसटीसी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गयी और चूंकि कमियां सीएसपीएल द्वारा अनधिकृत लिफटिंग के कारण थीं जैसाकि एमएसटीसी द्वारा बताया गया, इसलिए यह बीमा कवरेज का लाभ उठाने में भी असमर्थ था।

- चूँकि राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) ने कम्पनी को प्रतिभूति रहित परिचालन लेनदार के रूप में स्वीकार किया था, इसलिए वसूली की संभावना कम थी और कम्पनी ने वर्ष 2018-19 की लेखा पुस्तकों में सीएसपीएल के पूरे बकाया देयों के लिए प्रावधान भी किया था।

- यद्यपि कम्पनी ने जुलाई 2017 से अक्टूबर 2017 तक की अवधि के दौरान सीएसपीएल के प्रोमोटरों से ₹210.73 करोड़ के मूल्य की वैयक्तिक गारंटियां ली थीं, यह सीएसपीएल द्वारा भुगतान की किसी चूक की स्थिति में 15 दिनों के अंदर उसको मांगने में विफल रही। अन्ततः एमएसटीसी ने जुलाई 2018 में अर्थात् सीएसपीएल के एनसीएलटी को संदर्भित (नवम्बर 2017) किए जाने के आठ माह बाद उसको मंगाया। चूँकि वैयक्तिक गारंटियों का भुगतान नहीं किया गया था, एमएसटीसी ने एक सिविल मुकदमा (मार्च 2020) दायर किया।

- कम्पनी निगमित गारंटी मांगने का भी लाभ नहीं उठा सकी क्योंकि सीएसपीएल को एनसीएलटी को संदर्भित किया गया था।

इस प्रकार फेसिलिटेटर मोड़ के तहत सीएसपीएल को वित्तीय सहायता प्रदान करने के प्रति कम्पनी के अविवेकपूर्ण निर्णय के परिणामस्वरूप ₹220.84 करोड़ की प्राप्य राशि की उगाही नहीं हुई।

प्रबन्धन/ मंत्रालय ने अपने उत्तरों में बताया (सितम्बर 2019/ मार्च 2020) कि कम्पनी ने गिरवी रखी गयी सामग्री को चुकाने और इसके बकाया देयों की वसूली करने के विचार से क्रेडिट सीमा अनावृत्ति को बढ़ाकर समय-समय पर सीएसपीएल का वित्तपोषण करना जारी रखा और इसमें आगे बताया कि सीएसपीएल का अनियमित भुगतान पैटर्न मुख्यतया खराब बाजार स्थितियों के कारण था। उन्होंने यह भी बताया कि एनसीएलटी ने एमएसटीसी को प्रतिभूत लेनदार के रूप में रूल किया था (अक्टूबर 2019)।

प्रबन्धन/ मंत्रालय के उत्तर मान्य नहीं थे क्योंकि सीएसपीएल की खराब वित्तीय स्थिति के बारे में कम्पनी को अच्छी तरह से पता था जैसाकि खराब वित्तीय, पैरामीटरों और न केवल सीएआरई द्वारा दी गयी क्रेडिट रेटिंग में दर्शाया गया बल्कि संविदा करने से पहले ही कम्पनी की स्वयं की जोखिम प्रबंधन नीति के अनुसार भी दर्शाया गया। इसके अतिरिक्त गिरवी रखी गयी सामग्री की अनियमित लिफटिंग और बकाया देयों का इक्टठा होना, जैसाकि जनवरी 2014 में एक अग्रणी बैंक द्वारा भी प्रतिकूल रिपोर्ट दी गयी, सतत रैड फ्लैग थे परन्तु उन संकेतों की भी अवहेलना की गयी और क्रेडिट सीमा अनावृत्ति में निरंतर वृद्धि करके सीएसपीएल को अनुचित लाभ प्रदान किए गए। बकाया देयों को निर्मुक्त करने के लिए गिरवी रखी गयी सामग्री का परिसमापन करने के लिए क्रेडिट सीमा अनावृत्ति में वृद्धि करने के लिए मंत्रालय/प्रबन्धन द्वारा बताए गए कारण के संबंध में यह पाया गया कि खराब बाजार स्थितियों के बारे में ऐसा कोई कारण या चिंता क्रेडिट अनावृत्ति में वृद्धि करने

के समय अभिलेखों में प्रलेखित नहीं पाया गया। इसके अतिरिक्त प्रतिभूत लेनदार के रूप में एमएसटीसी के लिए एनसीएलटी की रूलिंग को परिसमापक द्वारा चुनौती दी गयी थी और प्रतिभूति रहित परिचालनात्मक लेनदारों (दिसम्बर 2019) की एनसीएलटी सूची में होने के नाते एमएसटीसी की वर्तमान स्थिति के साथ यह न्यायाधीन है।

इस प्रकार, फेसिलिटेटर मोड के तहत सीएसपीएल को वित्तीय सहायता प्रदान करने के प्रति कम्पनी के अविवेकपूर्ण निर्णय के परिणामस्वरूप ₹220.84 करोड़ की प्राप्य राशि की उगाही नहीं हुई (₹104 करोड़ के ब्याज को छोड़कर और प्रतिभूति जमा का समायोजन करने के बाद)।

सिफारिश संख्या 9

कम्पनी को उत्तरदायित्व नियत करने के लिए कॉनकास्ट स्टील एंड पावर लिमिटेड के साथ कारोबार प्रस्ताव में निर्णय करने में चूकों का विश्लेषण करना चाहिए और इसकी आवृत्ति को रोकने के लिए उपयुक्त उपाय करने चाहिए।

एनएमडीसी लिमिटेड

7.2 बेनीफिसिएशन और पेलेटाइजेशन प्लांटों के परिचालन और रखरखाव के प्रति परिहार्य अतिरिक्त व्यय

संयंत्रों की स्थिति और परिचालनों के वास्तविक स्तर पर विचार किए बिना एनएमडीसी लिमिटेड द्वारा नामांकन आधार पर डोनीमलाई में बेनीफिसिएशन और पेलेटाइजेशन प्लांटों की परिचालन और रखरखाव संविदा के विस्तार के परिणामस्वरूप ₹36.65 करोड़ का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ।

एनएमडीसी लिमिटेड (कम्पनी) ने नामांकन आधार पर मैसर्ज केआईओसीएल लिमिटेड[3] (केआईओसीएल) को एक संविदा प्रदान की (जनवरी 2015) जो डोनीमलाई, कर्नाटक में इसके 1.89 मिलियन टन प्रतिवर्ष बेनिफिसिएशन[4] और 1.2 मिलियन टन प्रतिवर्ष पेलेटाइजेशन[5] प्लांट के लिए परिचालन और रखरखाव (ओएंडएम) सेवाएं प्रदान करने के लिए थी। ओएंडएम संविदा की शर्तों के अनुसार, तीन वर्षों के लिए ओएंडएम सेवाएं प्रदान

---

[3] पूर्व में कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लिमिटेड के नाम से जानी जाने वाली

[4] स्लिम को उच्च ग्रेड ओर में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को बेनिफिसिएशन कहा जाता है।

[5] बेनिफिसिएटिड ओर को बॉल/पेलेटस में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को पेलेटाइजेशन कहा जाता है।

करने के अलावा, केआईओसीएल को दोनों संयंत्रों के चालू होने से पूर्व (परीक्षण/आनंतिम स्वीकृति जांच) और एकीकृत चालू करने में भी सहायता प्रदान करनी थी। बेनिफिसिएशन प्लांट और पेलेटाइजेशन प्लांट दोनों का भार परीक्षण जून/जुलाई 2015 में किया गया और एनएमडीसी और केआईओसीएल के बीच यह परस्पर सहमति हुई कि ओएंडएम सेवाओं के लिए प्रारंभ करने की तारीख 1 अगस्त 2015 मानी जाए। यह संविदा ₹81.93 करोड़[6] के मूल्य और करों पर दी गयी। दोनों संयंत्रों को जून 2017 में एकीकृत चालू किया गया।

जुलाई 2018 में ओएंडएम संविदा के समाप्त होने पर कम्पनी ने दो बार में 1 वर्ष और 3 महीने के लिए इस ओएंडएम संविदा को बढ़ा दिया। पहला विस्तार एक वर्ष अर्थात् 1 अगस्त 2018 से 31 जुलाई 2019 तक (₹45.38 करोड़ और जीएसटी के लिए) के लिए दिसम्बर 2018 में दिया गया था। संविदा को तीन महीने अर्थात् 1 अगस्त 2019 से 31 अक्टूबर 2019 तक (₹11.34 करोड़ और जीएसटी के लिए) के लिए अगस्त 2019 में दूसरी बार आगे बढ़ाया गया था। इसके बाद ओएंडएम कार्य 1 नवम्बर 2019 से 31 अक्टूबर 2020 तक एक वर्ष की अवधि के लिए खुली निविदा पूछताछ के माध्यम से दिया गया था (अक्टूबर 2019) जो सबसे निम्नतम बोलीदाता को बेनिफिसिएशन प्लांट और पेलेटाइजेशन प्लांट के संबंध में क्रमश: ₹5.75 करोड़ और ₹7.53 करोड़ और जीएसटी के लिए था। इन आउटसोर्स की गयी संविदाओं को उन्ही शर्तों पर दो महीने (नवम्बर और दिसम्बर 2020) के लिए बढ़ाया गया था। बाद में खुली निविदा पूछताछ के बाद एक वर्ष के लिए संविदा उन्हीं संविदाकारों को क्रमश: ₹6.36 करोड़ और ₹8.31 करोड़ और जीएसटी पर दी गयी।

अभिलेखों की संवीक्षा से निम्नलिखित का पता चला:

i) 2015 में नामांकन आधार पर प्रारम्भ में केआईओसीएल को ओएंडएम सेवाओं के लिए संविदा दी गयी। बेनिफिसिएशन प्लांट को लगातार कठिनाइयों का सामना करना पड़ा जैसे प्रेशर फिल्टर की विफलता और सांद्र उत्पादित करने के लिए स्लाइम की अनुपलब्धता। एकीकृत पेलेट प्लांट में ओएंडएम संविदा अवधि (अगस्त 2015 से जुलाई 2018) के 36 महीने में से 29 महीने के दौरान किसी भी पेलेट का उत्पादन नहीं हुआ था और शेष

---

[6] ***अवार्ड के मूल्य में शामिल था चालू होने से पूर्व सेवाओं के लिए प्रभार (₹0.30 करोड़); चालू होने की सेवाएं (₹1.62 करोड़);ओएंएम के पहले वर्ष के दौरान सेवाएं (₹29.50 करोड़), ओएंडएम के दूसरे वर्ष के दौरान सेवाएं (₹26.94 करोड़);ओएंडएम के तीसरे वर्ष के दौरान सेवाएं (₹23.57 करोड़)। किया गया व्यय वास्तविक करों को छोड़कर ₹72.95 करोड़ था।***

सात महीने के दौरान, पेलेट का उत्पादन निर्धारित क्षमता (1 लाख टन प्रतिमाह) के 0.56 और 29.70 *प्रतिशत* के बीच था। तथापि, मशीनरी की खराबी और कच्ची सामग्री की अनुपलब्धता के कारण परिचालन के वास्तविक स्तर के निम्नतम रहने के बावजूद, कम्पनी ने कुल 15 महीने की अवधि (1 अगस्त 2018 से 31 जुलाई 2019 तक एक वर्ष के लिए दिसम्बर 2018 में और 1 अगस्त 2019 से 31 अक्टूबर 2019 तक तीन महीने की अवधि के लिए अगस्त 2019 में) के लिए दो बार नामांकन आधार पर केआईसीएल के साथ ओएंडएम संविदा को विस्तारित किया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि ये दोनों विस्तार उन्ही शर्तों पर ₹56.72 करोड़[7] और जीएसटी की लागत पर दिए गए थे जो कि जनवरी 2015 की संविदा में दी गयी थीं, जो परिचालन के वास्तविक स्तर को ध्यान में रखे बिना संविदा प्रदान करने को दर्शाता है।

ii) जनवरी 2015 में हस्ताक्षरित निविदा में केआईओसीएल द्वारा 53 कार्यकारी और 124 गैर-कार्यकारी की तैनाती की परिकल्पना की गयी थी जो ओएंडएम निविदा के पहले वर्ष के अन्तर्गत प्रदान की जा रही सेवाओं के लिए थे। संविदा में प्रगामी रूप से एनएमडीसी कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने और उनके समावेशन की भी परिकल्पना की गयी थी ताकि आवश्यक विशेषज्ञता प्राप्त होने के बाद पूर्ण परिचालन और रखरखाव कार्यकलाप किए जा सकें। तथापि चूँकि कम्पनी द्वारा श्रमबल का समावेशन न करने के कारण यथा परिकल्पित प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया जा सका, केआईओसीएल ने ओएंडएम निविदा के दूसरे और तीसरे वर्ष के दौरान भी निविदा की शर्तों के अनुसार श्रमबल की तैनाती की। इससे निविदा को विस्तार प्रदान करने और कार्यों की आउटसोर्सिंग पर निर्भरता की आवश्यकता अनुभव हुई।

iii) तदनन्तर कम्पनी ने चालू उत्पादन स्तरों का विश्लेषण किया और खुली निविदा पूछताछ के माध्यम से ओएंडएम कार्यों को आउटसोर्स किया और 1 नवम्बर 2019 से एक वर्ष की अवधि के लिए मात्र ₹13.28 करोड़ और जीएसटी के कुल मूल्य के लिए मैसर्ज श्री साईप्रिया एन्टरप्राइसेस, होसपेट (₹5.75 करोड़ - बेनिफिसिएशन प्लांट के लिए ओएंडएम संविदा) और मैसर्ज विशाल एन्टरप्राइसेस, होसपेट (₹7.53 करोड़ - पेलेटाइजेशन प्लांट के लिए ओएंडएम संविदा) को यह कार्य दिया गया (अक्टूबर 2019)।

---

[7] ***1 अगस्त 2018 से 31 जुलाई 2019 तक की अवधि के लिए ₹45.38 करोड़ और 1 अगस्त 2019 से 31 अक्टूबर 2019 तक की अवधि के लिए ₹11.34 करोड़।***

यदि कम्पनी ने समय पर यह उचित सावधानी बरती होती और 1 अगस्त 2018 के बाद अर्थात् केआईसीएल के साथ ओएंडएम संविदा की तीन वर्ष की अवधि के समाप्त होने के तत्काल बाद प्रतिस्पर्धी बोली के बाद कार्यों की आउटसोर्सिंग की होती, तो 1 अगस्त 2018 से 31 अक्टूबर 2019 के दौरान कम्पनी को ₹36.65 करोड़[8] की बचत हो सकती थी।

इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि एनएमडीसी द्वारा श्रमबल का समावेशन न करने के कारण केआईओसीएल द्वारा तैनात किया गया श्रमबल जारी रहा, प्रबन्धन (अगस्त 2020) और मंत्रालय (दिसम्बर 2020) ने बताया कि:

i) ओएंडएम संविदा केआईओसीएल को प्रदान की गयी थी चूँकि वे भारत में पेलेट प्लांट परिचालन में अग्रणी थे और ऐसे बेनिफिसिएशन और पेलेट प्लांटों में ओएंडएम करने में उनकी विशेषज्ञता थी। निपुण और अनुभवी श्रमबल सामान्यतया "कभी-कभी" आधार/ अस्थायी आवश्यकता आधार पर उपलब्ध नहीं होता और इस प्रकार पेलेट प्लांट जैसे किसी संसाधान संयंत्र के परिचालन के लिए, विशेषरूप से निपुण श्रमबल की आवश्यकता होती है और इसलिए उन्हें सतत आधार पर तैनात किया जाना होता है जो केआईओसीएल द्वारा उपलब्ध कराया गया।

ii) चूँकि आउटसोर्सिंग द्वारा संयंत्र के प्रचालन के लिए ओएंडएम संविदा अद्वितीय थी और एनएमडीसी में ऐसा पहली बार किया जा रहा था, विविध समीक्षाएं की गयी/मत लिए गए और निविदा देने से पूर्व पूरी उचित सावधानी और सतर्कता बरती गयी ताकि निविदा देने में सफलता प्राप्त हो। निविदा देने और प्रतिस्पर्धी बोलियां आमंत्रित करने, स्पष्टीकरण मांगने आदि में लगभग तीन महीने का समय लगा और तदनुसार केआईओसीएल के साथ संविदा अवधि को मात्र तीन महीने के लिए अर्थात् 1 अगस्त 2019 से 31 अक्टूबर 2019 तक बढ़ाया गया ताकि पेलेटाइजेशन और बेनिफिसिएशन प्लांट की अलग ओएंडएम संविदा को अंतिम रूप दिया जा सके। इस प्रकार अन्य नौ महीने के लिए केआईओसीएल संविदा विस्तारित न करके कम्पनी ने ₹40.16 करोड़ (₹4.46 करोड़[9] x 9) की बचत की।

---

[8] ***केआईओसीएल को किए गए 15 महीने के लिए वास्तविक भुगतान (₹53.41 करोड़) और उन दरों के बीच अन्तर जिसपर अगले 15 महीने (₹16.76 करोड़) के लिए मैसर्ज श्री साईप्रिया एन्टरप्राइसेज और मैसर्ज विशाल एन्टरप्राइसेज को संविदा दी गयी।***

[9] ***यह आंकड़े 3 महीने की अवधि के लिए यथा 1 अगस्त 2019 से 31 अक्टूबर 2019 तक विस्तारित संविदा के लिए जीएसटी सहित कीमत के आधार पर मंत्रालय द्वारा लिए गए हैं। यह राशि ₹13.39 करोड़ थी।***

प्रबन्धन/ मंत्रालय के उत्तर को निम्नलिखित तथ्यों के मद्देनज़र देखे जाने की आवश्यकता है:

i) 2015 में नामांकन आधार पर केआईओसीएल को संविदा देते समय एनएमडीसी द्वारा बरती जाने वाली उचित सावधानी मात्र केआईओसीएल को आउटसोर्सिंग की तुलना में एनएमडीसी द्वारा इनहाउस कार्य करने के विकल्प की तुलना करना था। किसी अन्य विकल्पों का पता नहीं लगाया गया। इसके अतिरिक्त केआईओसीएल ने जुलाई 2017 से अक्टूबर 2019 के दौरान पेलेट प्लांट, डोनीमलाई में मकैनिकल, इलेक्ट्रिकल, इन्स्ट्रूमेंटेशन और रखरखाव कार्यों के लिए कुशल, अर्धकुशल और अकुशल कामगारों की आपूर्ति के लिए उन्हीं संविदाकारों, मैसर्ज श्री साईप्रिया एन्टरप्राइसेज और मैसर्ज विशाल एन्टरप्राइसेज की तैनाती की जिन्हें बाद में 1 नवम्बर 2019 से कम्पनी द्वारा खुली निविदा पूछताछ के माध्यम से सीधे कार्य सौंपे गए। इस प्रकार निपुण और अनुभवी श्रमबल की अनुपलब्धता के संबंध में तर्क सही नहीं है।

ii) केआईओसीएल के साथ ओएंडएम संविदा के खंड 15.3 के अनुसार, कम्पनी को 34 कार्मिकों का वार्षिक रूप से समावेशन करना था और उन्हें केआईओसीएल द्वारा प्रशिक्षित कराना था। इसके लिए एनएमडीसी द्वारा प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के रूप में के आईओसीएल को ₹4.69 करोड़ का भुगतान किया जाना था और इसके बदले यह देय ओएंडएम प्रभारों से ₹12.73 करोड़ की छूट प्राप्त कर सकता था। इस प्रावधान के अनुसार, तीन वर्ष के अंत तक कम्पनी के 102 कार्मिक प्रशिक्षित किए जा सकते थे। तथापि दूसरे और तीसरे वर्ष के दोरान एनएमडीसी के किसी श्रमबल का समावेशन नहीं किया गया। इसके कारण संयंत्र के परिचालन और पर्यवेक्षण के लिए निपुण श्रमबल के अभाव के आधारों पर केआईओसीएल को विस्तारित अवधि के लिए संयंत्र की ओएंडएम संविदा प्रदान की गयी और बाद में संविदा अन्य संविदाकारों को आउटसोर्स की गयी जैसाकि ऊपर उल्लेख किया गया।

iii) चूंकि केआईओसीएल के साथ संविदा 31 जुलाई 2018 को समाप्त हो रही थी, कम्पनी को संयंत्रों के परिचालन में क्षमता उपयोग और बाधाओं पर ध्यान देना चाहिए था और ओएंडएम खर्चों में मितव्ययिता लाने के लिए ओएंडएम संविदा के तीसरे वर्ष की समाप्ति तक पूर्व सक्रिय उपाय करने चाहिए थे। कम्पनी ने चौथे वर्ष के लिए ओएंडएम संविदा के विस्तार की मांग करते हुए अपनी टिप्पणी (नवम्बर 2018) में बताया कि परिचालनों के स्तर से सम्बद्ध प्रतिस्पर्धी दरों का लाभ उठाने के लिए पांचवे वर्ष के लिए खुली निविदा पूछताछ की जाएगी। कम्पनी ने मई 2019 में खुली निविदा पूछताछ जारी करने के लिए प्रस्ताव यह

कहते हुए प्रारंभ किया कि उस समय केआईओसीएल को दी जाने वाली ओएंडएम संविदा लागत की वसूली भी संभव नहीं थी। उसके बाद खुली निविदा पूछताछ 8 जुलाई 2019 को जारी की गयी और ओएंडएम सेवाओं की आउटसोर्सिंग के लिए संविदाएं केवल अक्टूबर 2019 में दी गई। इस प्रकार, कम्पनी प्रतिस्पर्धी शर्तों पर पांचवे वर्ष के प्रारम्भ से (1 अगस्त 2019) भी संविदा नहीं दे सकी और केआईओसीएल के साथ ओएंडएम संविदा को जीएसटी को छोड़कर ₹11.34 करोड़ पर अन्य तीन महीने (1 अगस्त से 31 अक्टूबर 2019) के लिए विस्तारित करना पड़ा। जहां तक मंत्रालय/ प्रबन्धन के उत्तर में उल्लिखित ₹40.16 करोड़ की बचत का संबंध है, यह अन्य नौ महीने के लिए केआईओसीएल संविदा का विस्तार न करने के लिए नवम्बर 2019 से जुलाई 2020 तक निकाली गयी थी, जबकि कम्पनी को अगस्त 2018 से अक्टूबर 2019 तक की अवधि के लिए ₹36.65 करोड़ की बचत हो सकती थी, यदि इसने समय पर कार्रवाई की होती और प्रतिस्पर्धी शर्तों पर कार्य को आउटसोर्स किया होता।

इस प्रकार, परिचालनों के वास्तविक स्तर के संदर्भ के बिना ओएंडएम संविदा विस्तारित करने में कम्पनी की ओर से उचित सावधानी के अभाव के परिणामस्वरूप ₹36.65 करोड़ का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ।

7.3 खनन पट्टे के लिए पंजीकरण प्रभारों और स्टाम्प शुल्क का दो बार भुगतान

पंजीकरण प्रभारों और स्टाम्प शुल्क के भुगतान से माफी के संबंध में छत्तीसगढ़ सरकार से विशेष आश्वासन प्राप्त करने में एनएमडीसी लिमिटेड की विफलता के कारण एक वर्ष के अन्दर दो बार एनएमडीसी लिमिटेड द्वारा एक बार और उसके बाद इसकी संयुक्त उद्यम कम्पनी एनएमडीसी-सीएमडीसी लिमिटेड द्वारा भुगतान करने से ₹48.36 करोड़ का परिहार्य व्यय।

एनएमडीसी लिमिटेड (एनएमडीसी) को बेलाडीला, छत्तीसगढ़ में डिपाज़िट 13 के लिए 631.34 हैक्टेयर भूमि के संबंध में पूर्वेक्षण लाइसेंस 1991 में संस्वीकृत किया गया था। पूर्वेक्षण कार्यकलाप (दिसम्बर 1991 से दिसम्बर 1993) करने के बाद, एनएमडीसी ने 1994 में खनन पट्टे के लिए आवेदन किया और 631.34 हैक्टेयर के लिए पहला आवेदक बना। खनन पट्टा क्षेत्र बाद में (जून 2005) संशोधित करके 413.745 हैक्टेयर कर दिया गया। डिपाज़िट 13 खानों का विकास करने के लिए छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लिमिटेड, छत्तीसगढ़ सरकार का एक राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर एनएमडीसी ने हस्ताक्षर किए (जुलाई 2006)। एमओयू में एनएमडीसी द्वारा

एक संयुक्त उद्यम कम्पनी के सृजन (एनएमडीसी-सीएमडीसी लिमिटेड) और छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम (क्रमश: 51 *प्रतिशत* और 49 *प्रतिशत* के अनुपात में इक्विटी धारिता) के लिए प्रावधान था। इसमें एनएमडीसी को प्रदान किए गए खनन पट्टे के संयुक्त उद्यम कम्पनी को अंतरण की परिकल्पना भी की गयी थी और कि आगामी आवश्यक कार्रवाई संयुक्त उद्यम कम्पनी द्वारा की जाएगी। खनिज संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार ने डिपाज़िट 13 खानों में एनएमडीसी के समर्थन में खनन पट्टा प्रदान करने के लिए पूर्व अनुमति हेतु खान मंत्रालय, भारत सरकार से सम्पर्क किया (10 नवम्बर 2006)। प्रस्ताव में यह अतिरिक्त शर्त भी उद्घृत की गयी कि एनएमडीसी को दिया गया खनन पट्टा एनएमडीसी और छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के बीच संयुक्त उद्यम को अंतरित किया जाएगा। संयुक्त उद्यम कम्पनी एनएमडीसी-सीएमडीसी लिमिटेड जून 2008 में बनाई गई।

इसी बीच एनएमडीसी ने सांविधिक अनुमोदन ओर अनुमति के लिए आवेदन किया (जनवरी 2003) जिसमें विलम्ब हुआ[10]। चरण II का वन अनुमोदन अंत में 9 जनवरी 2017 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) द्वारा प्रदान किया गया और उसके बाद जनवरी 2017 में पंजीकरण प्रभारों (₹18.44 करोड़) और स्टाम्प शुल्क (₹25.82 करोड़) के प्रति ₹44.26 करोड़ का भुगतान करके एनएमडीसी ने अपने पक्ष में खनन पट्टा पंजीकृत कराया। दिसम्बर 2017 में मात्र 10 महीने की अवधि के बाद, यह खनन पट्टा एमओयू की शर्तों के अनुसार संयुक्त उद्यम कम्पनी एनएमडीसी-सीएमडीसी के नाम में अंतरित किया गया और पंजीकरण प्रभारों (₹21.79 करोड़) और स्टाम्प शुल्क (₹30.51 करोड़) के प्रति ₹52.30 करोड़ का भुगतान किया गया।

इस संबंध में लेखापरीक्षा में निम्नलिखित नोट किया गया:

i) एनएमडीसी ने दो बार किए गए भुगतान के कारण परिहार्य व्यय किया जो उसी खनन क्षेत्र को पहले इसके अपने नाम में पंजीकरण के लिए और तब बाद में मात्र 10 महीने के अंतराल (जनवरी 2017 और दिसम्बर 2017) के बाद संयुक्त उद्यम कम्पनी को इसे अंतरित करने के लिए था।

ii) एनएमडीसी उस खनन पट्टे के लिए दो बार व्यय करने पर सहमत होते हुए अपने वित्तीय हितों की रक्षा करने में विफल रहा जिसकों अंत में इसकी संयुक्त उद्यम कम्पनी

---

[10] ***सीएंडएजी की रिपोर्ट 2019 की संख्या 5 के पैरा 3.3 में उल्लेख किया गया।***

को अंतरित किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने उसी खनन क्षेत्र के लिए दो बार पंजीकरण के प्रभारों और स्टाम्प शुल्क का संग्रहण किया जबकि छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लिमिटेड छत्तीसगढ़ सरकार का एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम था और संयुक्त उद्यम कम्पनी में इसकी 49 *प्रतिशत* शेयरधारिता थी।

iii) ऐसे एक संव्यवहार पर सहमत होने से पहले एनएमडीसी दो बार पंजीकरण प्रभारों और स्टाम्प शुल्क, एक बार एनएमडीसी लिमिटेड द्वारा और बाद में इसकी संयुक्त उद्यम कम्पनी एनएमडीसी-सीएमडीसी लिमिटेड द्वारा, के भुगतान से माफी के संबंध में छत्तीसगढ़ सरकार से विशेष आश्वासन प्राप्त कर सकता था।

iv) यह शेयरधारकों एवं संयुक्त उद्यम करार जिसमें संयुक्त उद्यम को दोनों पार्टियों की बाध्यता शामिल थी, में पंजीकरण और स्टाम्प शुल्क के दो बार भुगतान से सुरक्षा प्रदान करने वाले विशेष खंड को शामिल करने को सुनिश्चित कर सकता था।

ऐसा आश्वासन प्राप्त करने की कम्पनी की विफलता के परिणामस्वरूप उसी खान (डिपाज़िट 13) के पंजीकरण के लिए पंजीकरण प्रभारों और स्टाम्प शुल्क का दो बार भुगतान हुआ, पहली बार एनएमडीसी द्वारा और तब दूसरी बार संयुक्त उद्यम कम्पनी एनएमडीसी-सीएमडीसी लिमिटेड द्वारा। एनएमडीसी ने ₹48.36 करोड़ (₹44.26 करोड़ का 49 *प्रतिशत* और ₹52.30 करोड़ का 51 *प्रतिशत*) की सीमा तक परिहार्य व्यय यह परिकल्पना करते हुए किया कि संयुक्त उद्यम कम्पनी को स्वयं ही पहली बार पंजीकरण प्रभार और स्टाम्प शुल्क वहन करना चाहिए था।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2021 और सितम्बर 2021) कि शेयरधारकों का करार एनएमडीसी और सीएमडीसी के बीच है और राज्य सरकार करार के लिए एक पार्टी नहीं थी। इसलिए न तो एनएमडीसी और न ही सीएमडीसी राज्य सरकार की ओर से ऐसी कोई वचन बद्धता करने की स्थिति में थे। यह भी बताया गया कि एनएमडीसी-सीएमडीसी ने राशि के समायोजन/प्रतिदाय के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के साथ मामला उठाया था।

प्रबन्धन के उत्तर पर इस तथ्य के मद्देनज़र विचार किया जाना है कि सीएमडीसी राज्य सरकार का एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है और इसके बोर्ड में सदस्यों के रूप में छत्तीसगढ़ सरकार के वित्त विभाग और मानव संसाधन विभाग के सचिव और राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी हैं। इसके अलावा, इस संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा प्राप्त किए गए एक

विशेष स्पष्टीकरण में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा बताया गया (जून 2021) कि दूसरी बार प्रदत्त स्टाम्प शुल्क प्रतिदाय योग्य नहीं था।

इस प्रकार, शेयरधारकों एवं संयुक्त उद्यम करार में पंजीकरण प्रभारों और स्टाम्प शुल्क की माफी के संबंध में सीएमडीसी के माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार से एक विशेष आश्वासन को शामिल करने की एनएमडीसी की विफलता के परिणामस्वरूप एनएमडीसी पर ₹48.36 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ा।

लेखापरीक्षा पैराग्राफ अगस्त 2021 में मंत्रालय को जारी किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था।

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड

7.4 निर्णय लेने में विलम्ब के कारण परिहार्य व्यय

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड द्वारा बेंगा थर्मल कोल की अधिप्राप्ति के लिए दीर्घकालिक करार को अंतिम रूप देने और हस्ताक्षर करने में अत्यधिक विलम्ब के परिणामस्वरूप ₹12.39 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) विद्युत के उत्पादन के लिए अपने आंतरिक विद्युत संयंत्र में बॉयलर कोयले की खपत करता है। बॉयलर कोयले की आपूर्ति के लिए महानदी कोलफील्डस लिमिटेड (एमसीएल) के साथ आरआईएनएल का एक ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए) है। चूँकि एमसीएल से प्राप्त बॉयलर कोयले की आपूर्तियां निम्न केलोरिफिक मान के साथ खराब गुणवत्ता की थी, आरआईएनएल को इष्टतम स्तरों पर विद्युत का उत्पादन करने के लिए उच्च केलोरिफिक मान के बॉयलर कोयले के साथ बलेंड करना पड़ता है।

आरआईएनएल ने मैसर्ज मिनास डी बेंगा लिमिटाडा, मोज़ामबीक (एमबीएल), इंटरनेशनल कोल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड (आईसीवीएल)[11] की एक सहायक कम्पनी से बेंगा थर्मल कोल की अधिप्राप्ति की (अगस्त 2017) और परीक्षण आधार पर अपने आंतरिक विद्युत संयंत्र में इसकी खपत की (सितम्बर 2017)। चूँकि परीक्षण सफल रहा, आरआईएनएल ने बेंगा

---

[11] *आयातित कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य के साथ प्रोमोटर कम्पनियों के रूप में स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, एनएमडीसी लिमिटेड और एनटीपीसी लिमिटेड के साथ एक संयुक्त उद्यम कम्पनी के रूप में आईसीवीएल स्थापित की गयी थी।*

थर्मल कोल के तीन लदानों की खरीद करने और मैसर्ज एमबीएल के साथ एक दीर्घकालिक करार (एलटीए) करने का प्रस्ताव किया (सितम्बर 2017)। मैसर्ज एमबीएल बेंगा थर्मल कोल के तीन लदानों की आपूर्ति करने पर सहमत हुआ (अक्टूबर 2017) यूएसडी 27.35 प्रति मीट्रिक टन (पीएमटी) का उसमें बट्टा दिया।

आरआईएनएल ने दिसम्बर 2017 और जनवरी 2018 में लदानों की आपूर्ति के लिए मैसर्ज एमबीएल से अनुरोध किया (16 नवम्बर 2017)। आरआईएनएल द्वारा वार्ता करने पर, मैसर्ज एमबीएल द्वारा कीमत निर्धारण तंत्र को संशोधित किया गया (22 नवम्बर 2017) जो आधार कीमत[12] पर यूएसडी 27.35 पीएमटी से संशोधित करके यूएसडी 24.73 पीएमटी के प्रस्तावित बट्टे के साथ था और यूएसडी 6 पीएमटी का अतिरिक्त बट्टा पोतपर्यंत नि:शुल्क कीमत[13] पर दिया गया। बट्टे का निम्नगामी संशोधन मैसर्ज एमबीएल द्वारा प्राप्त दिसम्बर 2017 की उनकी विश्वव्यापी निविदा में अन्य प्रतिस्पर्धी बोली के अनुसार था। आरआईएनएल ने 33,000 एमटी प्रत्येक लदान के बेंगा थर्मल कोल के दो लदानों की आपूर्ति के लिए मैसर्ज एमबीएल को एक आर्डर दिया (14 दिसम्बर 2017) जो आधार कीमत पर यूएसडी 24.73 पीएमटी के बट्टे और पोतपर्यंत नि:शुल्क कीमत पर यूएसडी 6 पीएमटी के अतिरिक्त बट्टे के साथ था। पहला लदान 01-06 दिसम्बर 2017 के लेकेन[14] में प्राप्त हुआ था। दूसरे लदान के लिए, मैसर्ज एमबीएल ने आरआईएनएल को सूचित किया (12 दिसम्बर 2017) कि कीमत निर्धारण तंत्र वही नहीं रहेगा चूँकि यूएसडी 6 पीएमटी का अतिरिक्त भाड़ा बट्टा संभव नहीं होगा। आरआईएनएल ने जनवरी के लदान के लिए भी यूएसडी 6 पीएमटी के भाड़ा बट्टे को जारी रखने का अनुरोध किया। मैसर्ज एमबीएल ने उत्तर दिया (23 दिसम्बर 2017) कि यूएसडी 60 प्रतिटन की निम्न कैप के साथ यूएसडी 6 पीएमटी का बट्टा स्वीकार किया जा सकता था यदि आरआईएनएल एक वर्ष की अवधि के लिए एक लदान प्रतिमाह पर एलटीए के लिए सहमत हो।

आगामी पुष्टि की मांग करने पर मैसर्ज एमबीएल यूएसडी 6 पीएमटी के अतिरिक्त बट्टे को जारी रखने और यूएसडी 60 पीएमटी की निम्नतम कैप को समाप्त करने पर भी

---

[12] ***आधार कीमत एपीआई#4कीमत है (आर्गस/मकलोसकि की कोल प्राईस इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार) जो लदान बिल के जारी किए जाने के सप्ताह से तत्काल पूर्व दो सप्ताह की कीमत का औसत होगा।***

[13] ***पोतपर्यंत नि:शुल्क कीमत = (आधार कीमत पीएमटी - अमरीकी डालर 24.73पीएमटी) x (प्राप्त के रूप में निवल पर (एनएआर) वास्तविक केलोटीफिक मूल्य आधार/5500)।***

[14] ***लेकेन निर्दिष्ट दिनों की वह अवधि होती है जिसके दौरान मालिक को लदान के लिए पोत प्रस्तुत करना होगा।***

आरआईएनएल के प्रस्ताव पर सहमत हुआ (26 दिसम्बर 2017) बशर्ते कि लदानों को एलटीए के एक भाग के रूप में माना जाए और प्रस्तावित कीमत निर्धारण शर्तों को अनन्तिम माना जाए जिन्हें अंत में एलटीए के निबंधन और शर्तों के अनुसार समायोजित किया जाएगा। इस पर आरआईएनएल द्वारा सिद्धांत रूप में सहमति हुई और मैसर्ज एमबीएल को सूचित किया गया (27 दिसम्बर 2017) कि ड्राफ्ट शर्तें आंतरिक अनुमोदन लेने के पश्चात् अग्रेषित की जाएंगी। तद्नुसार आरआईएनएल ने निबंधन और शर्तों के अंतिम रूप देने के लम्बित रहते एलटीए के भाग के रूप में जनवरी 2018 से बेंगा थर्मल कोल की आपूर्ति के लिए मैसर्ज एमबीएल को एक आर्डर दिया (13 जनवरी 2018)।

मैसर्ज एमबीएल के साथ बातचीत करने और एलटीए के लिए विस्तृत निबन्धन और शर्तों की सिफारिश करने के लिए आरआईएनएल ने एक समिति गठित की (2 मार्च 2018)। समिति ने जून 2018 में एलटीए की ड्राफ्ट निबंधन और शर्तें तैयार की। इसी बीच, मैसर्ज एमबीएल ने बट्टा यूएसडी 24.73 पीएमटी से कम करके (14 मई 2018) अमरीकी डालर 22.74 पीएमटी कर दिया और पोतपर्यंत नि:शुल्क कीमत पर अतिरिक्त बट्टा भी यूएसडी 6 पीएमटी से कम करके (31 मई 2018) यूएसडी 3 पीएमटी कर दिया गया जिसमें उद्घृत किया गया कि कार्गों का कीमत निर्धारण इस विचार से अनन्तिम रूप से किया गया था कि आरआईएनएल एक एलटीए करेगा जो अब तक नहीं हुआ था। बाद में, आरआईएनएल के एकमात्र विवेकाधिकार पर 31 मार्च 2023 तक दो से अधिक वर्षों तक करार की अवधि को विस्तारित करने के विकल्प के साथ जनवरी 2018 से मार्च 2021 तक की अवधि के लिए 25 सितम्बर 2018, 14 नवम्बर 2018 और 13 अगस्त 2019 को वार्ता करने के बाद मैसर्ज एमबीएल के साथ एक एलटीए को आरआईएनएल ने अंतिम रूप दिया (31 जनवरी 2020)। 12 अगस्त 2019 तक लदानों के लिए इस एलटीए के अन्तर्गत सहमति हुए कीमत निर्धारण तंत्र के अनुसार अनंतिम कीमत को अंतिम कीमत के रूप में माना गया और आगामी लदानों के लिए मैसर्ज एमबीएल ने 31 मार्च 2020 तक लदानों के लिए प्रकाशित बाजार कीमत (पीएमपी)[15] पर 23 *प्रतिशत* का बट्टा और पोतपर्यंत नि:शुल्क कीमत पर यूएसडी 6 पीएमटी का अतिरिक्त बट्टा दिया। आरआईएनएल ने जनवरी 2018 से दिसम्बर 2019 के दौरान 7,22,048 एमटी बेंगा थर्मल कोल का आयात किया।

---

[15] ***प्रकाशित बाजार कीमत (पीएमपी) का अर्थ है अमरीकी $प्रति मीट्रिकटन में दो सप्ताह का एपीआई#4इंडेक्स कीमत का औसत, जो लदान बिल जारी करने सप्ताह से तत्काल पूर्व हो। सोमवार को सप्ताह के पहले दिन के रूप में गिना जाएगा। एपीआई#4 इंडेक्स का अर्थ है आर्गस/ मकलोसकि की कोल प्राईस इंडेक्स रिपोर्ट।***

अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि आरआईएनएल ने आयातित बॉयलर कोयले की आपूर्ति जारी रखने और सुनिश्चित करने तथा मैसर्ज आईसीवीएल के साथ दीर्घकालिक तालमेल रखने की आवश्यकता की परिकल्पना सितम्बर 2017 में ही की थी। मैसर्ज एमबीएल ने दूसरे लदान के लिए आधार कीमत पर यूएसडी 24.73 पीएमटी का बट्टा और पोतपर्यन्त नि:शुल्क कीमत पर यूएसडी 6 पीएमटी का अतिरिक्त बट्टा जारी रखने का प्रस्ताव किया (26 दिसम्बर 2017) बशर्ते कि लदान को एलटीए (एक वर्ष की अवधि के लिए प्रतिमाह एक लदान) के भाग के रूप में माना जाए। इस पर आरआईएन द्वारा सिद्धांत रूप में सहमति दी गयी और दिनांक 27 दिसम्बर 2017 को मेल द्वारा इसे मैसर्ज एमबीएल को सूचित किया गया।

तथापि, जबकि प्रबन्ध समिति (सीओएम)[16] ने मैसर्ज एमबीएल के साथ एलटीए करने के लिए सिद्धांत रूप में अनुमोदन दिया (13 जनवरी 2018) एलटीए की शर्तों पर वार्ता करने और सिफारिश करने के लिए समिति केवल 2 मार्च 2018 को गठित की गयी थी। इसके अतिरिक्त गठित समिति उचित समय के अंदर शर्तों को अंतिम रूप नहीं दे सकी और एलटीए को 31 जनवरी 2020 को अंतिम रूप दिया गया अर्थात् जो उसके लिए सिद्धांत रूप में अनुमोदन प्रदान करने के दो वर्ष से भी अधिक बाद में था। इसके परिणामस्वरूप मैसर्ज एमबीएल ने मई 2018 में बट्टे में कमी की। परिणामत:, मई 2018 के बाद आरआईएनएल ने ₹186.04 करोड़ की लागत पर अधिप्राप्त नौ लदानों के लिए परित्यक्त बट्टे के प्रति ₹12.39 करोड़ का परिहार्य व्यय किया।

नवम्बर 2020 में प्रबन्धन और मार्च 2021 में मंत्रालय ने बताया कि भिन्न विभागों के सदस्यों वाली एक प्रति-कार्यात्मक समिति एलटीए के निबंधन और शर्तों को अंतिम रूप देने के लिए गठित की गयी थी और कई बार चर्चा के बाद और कुछ निबंधन और शर्तों पर आपसी सहमति होने के बाद एलटीए की शर्तों को अंतिम रूप दिया गया जिसमें विशेष रूप से अंतिम कीमत निर्धारण तंत्र, भुगतान की शर्तों, रिबेट/ ह्रास खंड में कुछ समय लगा। अनंतिम कीमत की परिकल्पना केवल करार के प्रचालन की प्रचालनात्मक सुविधा और सामग्री की सुपुर्दगी लेने के लिए थी और एलटीए के निबंधन और शर्तों को अंतिम रूप देने में लिए गए समय के कारण अनंतिम कीमत में अंतर को परिहार्य अतिरिक्त व्यय के रूप

---

[16] ***प्रबंधन समिति निदेशक बोर्ड द्वारा गठित एक शक्ति प्राप्त समिति होती है। इस समिति में सभी कार्यकारी निदेशक इसके सदस्य होते हैं और इसकी अध्यक्षता अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक द्वारा की जाती है।***

में मानना उचित नहीं होगा। उत्तर में यह भी बताया गया कि जबकि मैसर्ज एमबीएल एक वर्ष की अवधि के लिए एक लदान प्रतिमाह के रूप में एलटीए को संदर्भित कर रहा था, आरआईएनएल की आवश्यकता यह थी कि वह पांच वर्ष की अवधि के लिए दीर्घावधि आधार पर एक करार करे और आपसी सहमति के साथ आगामी नवीकरण करें।

प्रबंधन/ मंत्रालय के उत्तर को निम्नलिखित तथ्यों के मद्देनज़र देखे जाने की आवश्यकता है:

- आंतरिक विद्युत संयंत्र के परिचालन के लिए बेंगा थर्मल कोल के दीर्घावधि करार की आवश्यकता पर सितम्बर 2017 से आरआईएनएल में चर्चा की जा रही थी। यह तथ्य भी नवम्बर 2017 से आरआईएनएल को स्पष्ट था कि मैसर्ज एमबीएल द्वारा प्रस्तावित कीमतों में उनकी विश्वव्यापी निविदाओं के आधार पर उतार-चढ़ाव आता रहेगा। मैसर्ज एमबीएल ने दिसम्बर 2017 के अपने पत्राचार में भी यह स्पष्ट किया था कि वे यूएसडी 6 पीएमटी की भाड़ा छूट के साथ जारी रखने में केवल तभी समर्थ होंगे यदि इन लदानों को एलटीए का एक भाग बनाया जाता है। इसके बावजूद आरआईएनएल उचित समय के अन्दर एलटीए की शर्तों को अंतिम रूप देने में विफल रहा और एलटीए को अंतिम रूप देने और इस पर हस्ताक्षर करने में इसे 748 दिन लगे।

- बट्टे में कमी करते समय, मैसर्ज एमबीएल ने श्रेणीबद्ध रूप से उल्लेख किया (14 मई 2018) कि पहले वाली कार्गों इस सूझबूझ के साथ अनंतिम कीमत पर आधारित थे कि आरआईएनएल एक एलटीए करेगा जिसे मूर्तरूप प्रदान नहीं किया गया और इसलिए वे यूएसडी 6 पीएमटी का अतिरिक्त बट्टा और अधिक प्रदान नहीं कर सकते।

- नवम्बर 2018 में थर्मल कोल की वैसी ही बिक्री के लिए मैसर्ज एमबीएल द्वारा जारी विश्वव्यापी निविदा की शर्तों के अनुसार, उद्दघृत बट्टा करार के निष्पादन के दौरान स्थिर रहना था। तद्नुसार कम्पनी प्रारम्भ में एक वर्ष की अवधि के लिए एलटीए को अंतिम रूप देने और समझौता की गयी आंतरायिक अवधि में एक दीर्घकालिक एलटीए के विकल्प पर विचार कर सकती थी।

- भले ही आरआईएनएल का आशय पांच वर्ष या अधिक के लिए एलटीए करने का था, शर्तों को अंतिम रूप देने में दो वर्षों से अधिक का समय लेना उचित नहीं है।

इस प्रकार, मैसर्ज एमबीएल के साथ एलटीए की शर्तों को अंतिम रूप देने में अत्यधिक विलम्ब के परिणामस्वरूप आरआईएनएल ने परित्यक्त बट्टे के प्रति ₹12.39 करोड़ (6.65 *प्रतिशत*) की सीमा तक अतिरिक्त व्यय किया।

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड

7.5 चिकित्सा दावों के अस्वीकरण के कारण हानि

आवश्यक दस्तावेजों/ सूचना के प्रस्तुत न करने के कारण 2017-18 से 2019-20 के दौरान बीमा कम्पनियों द्वारा सेल मेडिक्लेम स्कीम के अन्तर्गत दावों के अस्वीकरण के कारण ₹22.30 करोड़ की हानि।

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल/ कम्पनी) एक मेडिक्लेम स्कीम का प्रचालन कर रहा है जिसके द्वारा कम्पनी के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के परिवारों को चिकित्सा लाभ प्रदान किए जाते हैं। स्कीम में निर्धारित सीमाओं[17] के अन्दर अस्पताल में भर्ती करने और बाह्यरोगी विभाग (ओपीडी) के खर्चों की प्रतिपूर्ति कवर की जाती है। स्कीम का प्रचालन एक बीमा कम्पनी द्वारा किया जाता है और जैसाकि सेल द्वारा निर्धारित किया जाए, प्रीमियम का साझा योगदान कम्पनी और मेडिक्लेम सदस्य के बीच होता है। सेल के सात अस्पतालों[18] और प्राइवेट अस्पतालों में उपचार कराने वाले सदस्यों को दावे प्रस्तुत करने के लिए मदद हेतु बीमा कम्पनी द्वारा एक थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति की जाती है।

तालिका 7.1: 2017-18 से 2019-20 तक मेडिक्लेम इंश्योरेंस स्कीम का विवरण

वर्ष	बीमा कम्पनी	थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर	मेडिक्लेम सदस्यों की संख्या	प्रीमियम की राशि (₹ करोड़ में)	सदस्य का प्रीमियम योगदान (₹ करोड़ में)	सेल का प्रीमियम योगदान (₹ करोड़ में)
2017-18	यूनाइटेड इंडिया	एमडी इंडिया हैल्थ इंश्योरेंस टीपीए प्राइवेट लिमिटेड	1,19,436	155.90	39.19	116.71
2018-19	यूनाइटेड इंडिया		1,24,300	158.60	39.85	118.75
2019-20	न्यू इंडिया एश्योरेंस		1,17,049	206.62	50.71	155.91

---

[17] *आईपीडी (अस्पताल में भरती होना) लाभ: सदस्य की पत्नी/पति के साथ अस्पताल में भर्ती होने के तहत क्लबिंग की सुविधा के साथ ₹2 लाख प्रति सदस्य प्रति पालिसी अवधि (अधिकतम क्लब की गयी सीमा ₹4 लाख प्रति पालिसी अवधि है)। बाह्य रोगी विभाग लाभ; ₹4,000 प्रति सदस्य (70 वर्ष से कम उम्र के सदस्यों के लिए) और ₹8,000 प्रति सदस्य (70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सदस्यों के लिए)।*

[18] *आईजीएच, राउरकेला; बीजीएच, बोकारो; डीएसपी हॉस्पिटल, दुर्गापुर; आईएसपी हॉस्पिटल, बर्नपुर; जेएलएन हॉस्पिटल, भिलाई; स्टील प्लांट हॉस्पिटल, वीआईएसएल, भद्रावती और एसएसपी हॉस्पिटल, सेलम*

2017-18 से 2019-20 तक की अवधि के लिए सेल के सात अस्पतालों के संबंध में डेटा के विश्लेषण से पता चला कि 3,01,080 दावों (₹118.35 करोड़) में से 21,726 दावे (₹22.30 करोड़) सेल के अस्पतालों द्वारा आवश्यक दस्तावेजों/सूचना के प्रस्तुत न करने के कारण बीमा कम्पनियों द्वारा अस्वीकार किए गए थे।

राशि-वार अस्वीकृत दावों का अनुपात पुष्टि किए गए दावों का लगभग 19 *प्रतिशत* था, जो महत्वपूर्ण है।

तालिका 7.2: 2017-18 से 2019-20 की अवधि के लिए अस्वीकृत किए गए दावों का विवरण

क्र सं	**अस्वीकृत किए गए दावों की संख्या**	**अस्वीकृत किए गए दावों की राशि (₹ करोड़ में)**	**अस्वीकृति का कारण**
1.	13,419	20.06	मांगे गए दावे के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए
2.	1,251	0.77	दस्तावेजों से पता नहीं चला कि सुधार की सक्रिय लाइन प्रदान की गई थी
3.	1,836	0.43	दवा बिल का औषधपत्र उपलब्ध नहीं था
4.	5,078	1.01	तिथि/ एमआईएन सं/बिल/ औषधपत्र पर रोगी का नाम उल्लेखित नहीं था
5.	126	0.03	जांच रिपोर्ट उपलब्ध नहीं था
6.	16	0.004	प्रामाणिक बिल उपलब्ध नहीं था
कुल	**21,726**	**22.30**	

इस संबंध में, लेखापरीक्षा में निम्नलिखित पाया गया:

सेल ने दर्ज किए जा रहे सदस्यों और दावों की संख्या में वृद्धि के मद्देनज़र और बीमा कंपनी/ थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर का संतोषजनक निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए मेडिक्लेम योजना के सुचारू कार्यान्वयन के लिए एक प्रक्रिया तैयार की (मई 2017)। इस प्रक्रिया में कार्मिक विभाग और अस्पतालों/ इकाइयों/ कॉर्पोरेट कार्यालय के कर्मचारियों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया। हालांकि, नोडल अधिकारी की नियुक्ति, संबंधित अधिकारियों को निर्धारित रिपोर्ट प्रस्तुत न करने आदि जैसी निर्धारित प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन नहीं किया गया था, जैसा कि नीचे उद्धृत किया गया है:

- निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, सेल अस्पतालों के चिकित्सा प्रमुख को संबंधित सेल अस्पताल से एक नोडल अधिकारी-चिकित्सा को नामित करना आवश्यक था। ऐसे नोडल अधिकारी-चिकित्सा यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी थे कि डॉक्टरों ने दस्तावेज की

आवश्यकता का अनुपालन किया ताकि बीमा कंपनी द्वारा अविलंब दावों का निपटान किया जा सके। बोकारो स्टील प्लांट में नोडल अधिकारी-चिकित्सा की नियुक्ति नहीं की गई; राउरकेला स्टील प्लांट में जनवरी 2019 में 20 महीने की देरी के बाद नियुक्ति की गई थी और 2017-18 के दौरान ईस्को स्टील प्लांट में नियुक्ति नहीं की गई थी।

- नोडल अधिकारियों-चिकित्सा को यह भी सुनिश्चित करना था कि आईपीडी मामलों से संबंधित बीमा कंपनी/ थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा मांगे गए सभी दस्तावेजों को साप्ताहिक रूप से थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर को प्रस्तुत किया गया था। उन्हें चिकित्सा प्रमुख के अवलोकन के लिए सेल अस्पतालों से संबंधित प्रस्तुत किए गए और निपटाए गए दावों के विषय में रिपोर्ट भी तैयार करनी थी। उपर्युक्त के अलावा, नोडल अधिकारी-चिकित्सा को उपरोक्त पर त्रैमासिक रिपोर्ट कॉर्पोरेट नोडल अधिकारी को भेजनी थी। यह देखा गया था कि न तो नोडल अधिकारी-चिकित्सा से थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा मांगे गए दावा दस्तावेज समय पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया और न ही उन्होंने सेल के चिकित्सा प्रमुख के अवलोकन के लिए नियमित रूप से अपेक्षित रिपोर्ट तैयार की। निर्धारित त्रैमासिक रिपोर्ट भी नियमित आधार पर कॉर्पोरेट नोडल अधिकारी को प्रस्तुत नहीं की गई।

इस प्रकार, सेल अस्पतालों द्वारा मांगे गए दस्तावेज/ सूचना प्रस्तुत न किए जाने के कारण बीमा कंपनियों द्वारा ₹22.30 करोड़ मूल्य वाले 19 *प्रतिशत* पुष्टिकृत दावों (21,726 दावे) को अस्वीकार कर दिया गया।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (जनवरी 2021) कि अवसंरचना और श्रमबल की कमी के कारण सेल अस्पतालों के लिए दावों को सही तरीके से प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक दस्तावेजीकरण और अनुक्रमण करना कठिन था। सेल प्लांट अस्पताल शुरू में बीमा एजेंसियों के साथ दावा दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए सुसज्जित नहीं थे। सिस्टम को नया रूप दिया जा रहा है और जो बदलाव लाए गए हैं, उसके सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं।

प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सेल मेडिक्लेम योजना पिछले 30 वर्षों से चल रही है और इस योजना के कार्यान्वयन में शामिल कर्मचारियों की विशिष्ट भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को परिभाषित किया गया था, लेकिन प्रबंधन योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त अवसंरचना तैयार करने और पर्याप्त श्रमबल तैनात करने में असमर्थ था। इसके अलावा, प्रबंधन द्वारा प्रणाली को दुरुस्त करने के बावजूद, 2019-20 में दावों को अस्वीकार करना जारी रहा।

यदि सेल द्वारा आवश्यक दस्तावेजों/सूचना को सुनिश्चित किया गया होता, तो 2017-18 से 2019-20 के दौरान, बीमा कंपनी से दावा की गई 19 *प्रतिशत* राशि (₹22.30 करोड़) को अस्वीकार करने से बचा जा सकता था। सेल मेडिक्लेम योजना के कार्यान्वयन में चूक के परिणामस्वरुप सेल को हानि हुई और जब तक ठोस उपाय नहीं किए जाते तब तक कंपनी को भविष्य में भी भारी हानि होती रहेगी।

लेखापरीक्षा पैराग्राफ फरवरी 2021 में मंत्रालय को जारी किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जुलाई 2021)।

सिफारिश संख्या 10

सेल, सेल मेडिक्लेम योजना के तहत बीमा दावों के संबंध में आवश्यक दस्तावेजों/सूचना उपलब्धता और प्रस्तुत करना सुनिश्चित कर सकता है ताकि भविष्य में इस तरह की हानि से बचा जा सके।

दि बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड

7.6 स्टांप शुल्क और पंजीकरण प्रभार के भुगतान के प्रति परिहार्य व्यय

खनन योजना में उत्पादन के अवास्तविक अनुमान के कारण दि बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड द्वारा स्टांप शुल्क और पंजीकरण प्रभार के भुगतान के प्रति ₹6.97 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

दि बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड (बीएसएलसी या कंपनी) उड़ीसा में एक चूना पत्थर और एक डोलोमाइट खदान का संचालन करती है और इसमें 793.96 हेक्टेयर खनन पट्टा क्षेत्र था। उड़ीसा सरकार द्वारा खनन पट्टे को मार्च 2000 से मार्च 2020 की अवधि के लिए बढ़ाया[19] गया था (मई 2015)। 0.92 हेक्टेयर वन भूमि को छोड़कर 793.04 हेक्टेयर क्षेत्र में दिसंबर 2015 में बीएसएलसी द्वारा पूरक पट्टा विलेख का निष्पादन किया गया था। बाद में, खनन पट्टे की वैधता मार्च 2040 तक बढ़ा दी गई (मार्च 2020)।

उड़ीसा सरकार द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना (जनवरी 2012) के अनुसार, खनन योजना में नियोजित उच्चतम वार्षिक उत्पादन स्टांप शुल्क के निर्धारण का आधार था। उड़ीसा

[19] ***कंपनी ने 1999 में समय पर खनन पट्टे के नवीनीकरण के लिए आवेदन फाइल किया था, लेकिन 2015 में नवीनीकरण की मंजूरी दी गई। इस अवधि के दौरान कंपनी खनिज रियायत नियमावली 1994 के नियम 24ए-(6) के प्रावधानों के अनुसार माने गए विस्तार के तहत कार्य कर रही थी।***

सरकार की अधिसूचना में यह भी प्रावधान किया गया कि यदि भविष्य में खनन योजना में संशोधन के माध्यम से उत्पादन स्तर में वृद्धि की जाती है, तो स्टाम्प शुल्क का पुनर्निर्धारण विभेदक उत्पादन के आधार पर किया जाएगा और पट्टेदार को इस तरह की वृद्धि वास्तव में किए जाने से पहले विभेदक स्टांप शुल्क जमा करना होगा।

बीएसएलसी ने 2008-13 के लिए अपनी खनन योजना में संशोधन किया (सितंबर 2010) जो 2010-13 के दौरान, चूना पत्थर और डोलोमाइट के अपने वार्षिक उत्पादन अनुमान को 52.61 लाख टन प्रति वर्ष बढ़ाने के लिए था, जोकि मौजूदा 8.66 लाख टन प्रति वर्ष से छह गुना वृद्धि थी। उत्पादन वृद्धि अनुमान को 2013-14 से 2017-18 की अवधि (अगस्त 2014 में अनुमोदित) के लिए अपनी खनन योजना में जारी रखा गया था, बाद में, 28.31 लाख टन प्रति वर्ष चूना पत्थर और 24.30 लाख टन प्रति वर्ष डोलोमाइट के अनुमानित उत्पादन को मार्च 2020 तक बढ़ाया गया (अप्रैल 2018)। उड़ीसा सरकार द्वारा खनन पट्टे के विस्तार (मई 2015) के समय लागू 2013-18 की खनन योजना में उच्चतम वार्षिक उत्पादन अनुमानों के आधार पर, कंपनी ने 2000-01 से 2019-20 की अवधि के लिए ₹8.60 करोड़ के स्टांप शुल्क और पंजीकरण फीस का भुगतान किया (मार्च 2016)।

लेखापरीक्षा विश्लेषण से पता चला कि कंपनी द्वारा अनुमानित वार्षिक उत्पादन में छह गुना वृद्धि (8.66 लाख टन प्रति वर्ष से 52.61 लाख टन प्रति वर्ष) निम्नलिखित कारणों से उचित नहीं था:

i) कंपनी 2008-09 से 2012-13 तक के पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष 8.30 लाख टन चूना पत्थर और डोलोमाइट का उत्पादन कर सकी। वर्ष 2013-14 से 2017-18 के लिए निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित चूना पत्थर और डोलोमाइट के लिए वार्षिक उत्पादन लक्ष्य केवल 7.20 लाख टन और 9.60 लाख टन के बीच था। विशेष रूप से, मई 2015 में स्टांप शुल्क और पंजीकरण प्रभार का भुगतान किया गया था, तब भी पिछले वर्ष (2014-15) के दौरान वास्तविक उत्पादन 1.05 लाख टन था और वर्ष 2015-16 के लिए वार्षिक उत्पादन लक्ष्य 9.60 लाख टन निर्धारित किया गया था।

ii) सेल और आरआईएनएल चूना पत्थर और डोलोमाइट के मुख्य उपभोक्ता थे। उपभोक्ताओं की ओर से 9.60 लाख टन से अधिक का कोई ऑर्डर नहीं दिया गया। बीएससीएल को सेल संयंत्रों के आधुनिकीकरण के बाद सेल के बढे हुए उत्पादन/ आवश्यकता को देखते हुए डोलोमाइट की बाजार मांग में वृद्धि की अपेक्षा है। हालांकि, बढ़ी हुई मांग की अपेक्षा उपभोक्ता की प्रतिबद्धता द्वारा समर्थित नहीं थी। इसके अलावा, पूर्व समय में सेल

ने गुणवत्ता के मुद्दों के कारण एमओयू में प्रतिबद्धता की तुलना में डोलोमाइट को कम मात्रा में भी उठाया था। कंपनी चूना पत्थर के लिए दीर्घकालिक आवश्यकता वाले किसी भी उपभोक्ता का पता लगाने में समर्थ नहीं थी।

iii) कंपनी को कम लाभ मार्जिन,उच्च श्रमि लागत, खनन उपकरण की अनुपलब्धता, कुशल प्रचालकों की कमी और निधि के अभाव में विभागीय क्रशर लगाने में असमर्थता जैसी समस्याएं थीं। कंपनी के स्वामित्व वाले सभी तीनों क्रशर संयंत्र पुराने और घिसे हुए थे और सालाना केवल लगभग 3.60 लाख टन डोलोमाइट का उत्पादन कर सकते थे।

iv) बीएसएलसी ने ऋण भार और खनन मशीनरी, कार्यशालाओं, इमारतों, इन्वेंटरी आदि के लिए आवश्यक भारी निवेश को ध्यान में रखते हुए उत्पादन अनुमानों में वृद्धि के अनुरूप अपनी अवसंरचनात्मक क्षमता में वृद्धि नहीं की थी।

इस प्रकार, खनन योजना में उत्पादन में छह गुना वृद्धि का अनुमान तथ्यों पर आधारित नहीं था क्योंकि यह उत्पादन करने की क्षमता के साथ-साथ बाजार में अपने उत्पादों की मांग पर आधारित नहीं था। इसके परिणामस्वरूप स्टांप शुल्क और पंजीकरण प्रभार पर ₹6.97 करोड़[20] का परिहार्य भुगतान हुआ।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (जनवरी 2021) कि:

- बीएसएलसी ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से पर्यावरणीय मंजूरी के अनुपालन के लिए टर्म्स ऑफ रेफेरेंस प्राप्त होने के बाद प्रतिवर्ष 52.61 लाख टन उत्पादन के लिए खनन योजना में संशोधन किया। चूंकि पर्यावरणीय मंजूरी की प्रक्रिया चल रही थी, इसलिए बीएसएलसी ने पर्यावरणीय मंजूरी की मात्रा से मेल खाने और डोलोमाइट और चूना पत्थर की बाजार मांग में वृद्धि की अपेक्षा के लिए बाद की खनन योजना में समान उत्पादन क्षमता यानी 52.61 लाख टन प्रति वर्ष दर्शाना जारी रखा।

उत्पादन का अनुमानित स्तर मूर्त रूप नहीं ले सका क्योंकि बीएसएलसी के पास 31 मार्च 2020 से आगे कोई पट्टा नहीं था। डोलोमाइट की मांग इतनी अधिक थी कि निकट भविष्य में पर्यावरणीय मंजूरी की मात्रा बढ़ानी पड़ सकती है। यदि मांग बढ़ गई, तो कंपनी आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से आवश्यक अवसंरचना को संबोधित करेगी।

---

[20] ***चूना पत्थर के लिए लागू रॉयल्टी की उच्च दर पर चूना पत्थर और डोलोमाइट के कुल 9.60 लाख टन प्रति वर्ष उत्पादन को ध्यान में रखते हुए गणना की गई।***

- कंपनी के दीर्घकालिक प्रगतिशील लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए, प्रति वर्ष 52.61 लाख टन का निर्णय सही था और कंपनी की संभावनाओं को हाथ में रखने के लिए स्टांप शुल्क और पंजीकरण फीस का भुगतान करना पड़ा था।

मंत्रालय ने प्रबंधन के उत्तर को दोहराया (मार्च 2021) और कहा कि शुरू में एक छोटी मात्रा के लिए आवेदन करना और बाद में विभेदक स्टांप शुल्क का भुगतान करके इसका विस्तार करना व्यावहारिक साबित नहीं होता क्योंकि सांविधिक मंजूरी प्राप्त करने में काफी समय लगता है।

प्रबंधन/ मंत्रालय का उत्तर निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए स्वीकार्य नहीं है:

- पर्यावरणीय मंजूरी के लिए आवेदन में दर्शाए गए अनुमानित उत्पादन स्तर के साथ मिलान करने के लिए खनन योजना में उच्चतम उत्पादन स्तर को संशोधित करने के लिए टर्म्स ऑफ रेफेरेंस में कोई आवश्यकता नहीं थी। इसमें केवल दस्तावेजों के एक दूसरे के साथ बिना विरोध के संगत होने की आवश्यकता थी। इस प्रकार, खनन योजना में उत्पादन स्तर, पर्यावरणीय मंजूरी की तुलना में कम हो सकता था लेकिन अधिक नहीं। उड़ीसा खनन कंपनी और टाटा स्टील जैसी अन्य खनन कंपनियों के पास भी अपनी खनन योजनाओं की तुलना में पर्यावरणीय मंजूरी अधिक मात्रा में थी।

- इसके अलावा, 2013-18 के लिए खनन योजना के लिए आवेदन (नवंबर 2013) प्रस्तुत करने के समय, कंपनी के पास चूना पत्थर और डोलोमाइट[21] दोनों के लिए प्रति वर्ष 9.60 लाख टन उत्पादन करने के लिए पर्यावरणीय मंजूरी थी।

- 2013-14 से 2019-20 के दौरान, चूना पत्थर और डोलोमाइट का औसत वार्षिक उत्पादन 4.49 लाख टन प्रति वर्ष था और कंपनी को लगातार हानि हुई। इसलिए, वार्षिक उत्पादन अनुमान को बढ़ाना वास्तविक उत्पादन या यथार्थवादी अनुमान पर आधारित नहीं था।

- प्रबंधन का तर्क कि, दीर्घकालिक प्रगतिशील लक्ष्यों को देखते हुए वार्षिक उत्पादन अनुमान को बढ़ाकर 52.61 लाख टन प्रति वर्ष करने का निर्णय सही था, इसे इस तथ्य के मद्देनज़र देखा जा सकता है कि प्रबंधन द्वारा अनुमानित 52.61 लाख टन प्रतिवर्ष की बढ़ी हुई मांग, अवधि (2013-14 से 2017-18) के दौरान, 7.20 लाख टन से 9.60 लाख टन

---

[21] ***मार्च 2016 में 52.61 लाख टन के लिए पर्यावरणीय मंजूरी दी गई थी।***

प्रति वर्ष नियोजित वार्षिक उत्पादन के द्वारा न्यायोचित नहीं थी। इसके अलावा, प्रबंधन के पास जनवरी, 2012 में जारी उड़ीसा सरकार की अधिसूचना के अनुसार विभेदक स्टांप शुल्क के भुगतान के बाद में खनन योजना में उत्पादन स्तर बढ़ाने का विकल्प था।

- मंत्रालय के तर्क कि खनन योजना के संबंध में सांविधिक मंजूरी प्राप्त करने में काफी समय लगता, को इस तथ्य के मद्देनज़र देखा जा सकता है कि भारतीय खनन ब्यूरो ने एक पट्टेदार द्वारा प्रस्तुत खनन योजना को मंजूरी/ अस्वीकृत करने के लिए अधिकतम 90 दिन का समय निर्धारित किया।

इस प्रकार, 2008-13 और 2013-20 के लिए खनन योजनाओं में चूना पत्थर और डोलोमाइट के प्रति वर्ष 52.61 लाख टन के उत्पादन के अवास्तविक अनुमान के परिणामस्वरूप स्टांप शुल्क और पंजीकरण फीस के प्रति ₹6.97 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

दि उड़ीसा मिनरल डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड

7.7 शास्तिक ब्याज के कारण परिहार्य व्यय

दि उड़ीसा मिनरल्स डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ने अवैध खनन के लिए उड़ीसा सरकार को क्षतिपूर्ति के विलंबित भुगतान पर शास्तिक ब्याज के कारण ₹174.04 करोड़ का परिहार्य व्यय किया।

दि उड़ीसा मिनरल्स डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (ओएमडीसी या कंपनी), उड़ीसा में स्थित छह[22] लौह अयस्क और मैंगनीज अयस्क खनन पट्टों का संचालन करती है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय (अगस्त 2017) ने फैसला सुनाया कि पर्यावरणीय मंजूरी और वन मंजूरी के बिना/से अधिक उत्पादन जैसे अवैध खनन गतिविधियों के लिए पट्टेदारों पर शास्ति लगाई जाए। तदनुसार, उड़ीसा सरकार ने पर्यावरणीय मंजूरी के उल्लंघन के लिए ओएमडीसी[23] से ₹643.27 करोड़ और खनन योजना और संचालन हेतु सहमति में निर्धारित अनुमोदित सीमा से अधिक खनिजों के उत्पादन के लिए शास्ति के प्रति ₹58.91 करोड़ की

---

[22] *ओएमडीसी के नाम पर तीन पट्टे (बगियाबुरू, भद्रशाही और बेलकुंडी) थे और तीन (कोल्हा-रोहिड़ा, डालकी और ठाकुरानी) का संचालन ओएमडीसी ने भारत प्रोसेस एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड से पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से किया था।*

[23] *शास्ति की ओर ले जाने वाले खनन कानूनों का पालन न करने का तथ्य सीएजी लेखापरीक्षा रिपोर्ट - संघ सरकार (वाणिज्यिक) 2019 की संख्या 13 में सामने आया था।*

मांग की (सितम्बर/अक्तूबर 2017)। इस शास्ति का 31 दिसंबर 2017 से पहले भुगतान किया जाना था। ओएमडीसी ने केवल ₹14.80 करोड़ का भुगतान किया (28 दिसंबर 2017)।

माननीय भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आगे, उड़ीसा सरकार को दोषी खनन पट्टाधारकों से अप्रदत्त देयों की वसूली करने के लिए बलपूर्वक कार्रवाई करने का निर्देश दिया (30 जनवरी 2018)। उड़ीसा सरकार ने ब्याज के साथ शेष राशि की वसूली के लिए उड़ीसा लोक ऋण वसूली अधिनियम, 1962 के तहत ओएमडीसी के विरुद्ध कार्रवाई शुरू की (जून 2018)। ओएमडीसी ने ₹174.04 करोड़ के शास्तिक ब्याज सहित शास्ति के पूर्ण और अंतिम भुगतान के रूप में चरणों में (3 अक्टूबर 2019 तक) ₹876.22 करोड़ का भुगतान किया।

ओएमडीसी द्वारा ₹174.04 करोड़ के शास्तिक ब्याज के भुगतान के लेखापरीक्षा विश्लेषण से निम्नलिखित का पता चला:

i) माननीय भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित की गई केंद्रीय सशक्त समिति (शक्ति प्राप्त समिति) ने सूचित किया था (4 दिसंबर 2017) कि उसके आदेश के प्रति वसूली योग्य क्षतिपूर्ति में किराए, रॉयल्टी, करों में कटौती की कोई गुंजाइश नहीं थी। हालांकि ओएमडीसी ने, भुगतान योग्य शास्ति की गणना करते समय इस तरह के व्यय में कटौती की।

ii) इसके अलावा, ओएमडीसी निष्प्रयोज्य स्टॉक के लिए कटौती का दावा केवल तभी कर सकता था, यदि 28 फरवरी 2018 से पहले इसे उड़ीसा सरकार को सौंपने के लिए कदम उठाए गए होते। निष्प्रयोज्य स्टॉक को सौंपे बिना, ओएमडीसी ने बढ़े हुए खनिजों के उत्पादन की लागत में कटौती की और 31 दिसंबर 2017 की निर्धारित समय सीमा तक केवल ₹14.80 करोड़ की राशि का भुगतान किया।

iii) कंपनी ने प्राप्त की गई कानूनी राय (दिसंबर 2017) की भी अनदेखी की जिसमें उसके बोनाफाईड इन्टेन्सन को स्थापित करने के लिए स्वीकार की गई राशि के भुगतान की सलाह भी दी गई थी। इसके बजाय, इसने उड़ीसा सरकार की मांग के विरूद्ध एक पुनरीक्षण याचिका दायर की (दिसंबर 2017), जिसे भारत सरकार के पुनरीक्षण प्राधिकरण द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया गया था (जनवरी 2018) कि इस मुद्दे का अधिकार प्राप्त समिति द्वारा पहले ही निपटान किया गया था।

इस प्रकार, अधिकार प्राप्त समिति, उड़ीसा सरकार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, भारत सरकार और कंपनी द्वारा प्राप्त कानूनी सलाहों द्वारा भुगतान के लिए स्पष्ट निर्देशों

(दिसंबर 2017/ मई 2018/ दिसंबर 2018) के बावजूद, कंपनी ने निर्धारित समय सीमा के अंदर क्षतिपूर्ति का पूरा भुगतान नहीं किया और भुगतान में देरी के परिणामस्वरूप ₹174.04 करोड़ का परिहार्य शास्तिक ब्याज लगाया गया।

प्रबंधन ने अपने उत्तर (मार्च 2021) में कहा कि

- पर्याप्त निधियां उपलब्ध नहीं थी और इतनी बड़ी राशि के बारे में निर्णय लेने के लिए उच्च प्रबंधन और ओएमडीसी बोर्ड को सूचना/ अनुमोदन के लिए विचारित प्रक्रिया थी जिसके कारण विलंब के लिए ब्याज का भुगतान किया गया था।

- इन्सोलवेंसी रेसोल्युसन प्रोफेशनल को फरवरी 2018 में राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण द्वारा नियुक्त किया गया था और ओएमडीसी को कार्यवाही से निर्मुक्त कर 7 अगस्त 2018 से अपने निदेशक मंडल के माध्यम से स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अनुमति दी गई थी।

निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है:

- कंपनी का 31 दिसंबर 2017 तक ₹807.84 करोड़ का भारमुक्त बैंक राशी था जबकि देय शेष शास्ति केवल ₹687.39 करोड़ थी।

- इन्सोलवेंसी रेसोल्युसन प्रोफेशनल की नियुक्ति फरवरी 2018 में की गयी थी, जबकि शास्ति का भुगतान दिसंबर 2017 से पहले किया जाना था। इसके अलावा, इन्सोलवेंसी कार्यवाही से निर्मुक्ति के बाद भी (7 अगस्त 2018), कंपनी ने देयों के भुगतान के लिए 14 महीने का समय लगाया (3 अक्टूबर 2019) जिसके कारण शास्तिक ब्याज लगाया गया था।

इस प्रकार, क्षतिपूर्ति के भुगतान में प्रबंधन द्वारा विलंब, अधिकार प्राप्त समिति, उड़ीसा सरकार, माननीय भारत के सर्वोच्च न्यायालय, भारत सरकार के निर्देशों और इस संबंध में प्राप्त कानूनी सलाहों की अनदेखी के परिणामस्वरूप ₹174.04 करोड़ की शास्तिक ब्याज राशि का परिहार्य भुगतान किया गया।

लेखापरीक्षा पैराग्राफ अप्रैल 2021 में मंत्रालय को जारी किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जुलाई 2021)।